Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

कार्यालय नगर पालिका मण्डलए बहरोड़ (अलवर)

;होटल एवं रेस्टोरेन्टबेकरी मिठाई, पान आदि की द ुकान के नियन्त्रण व नियमन)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम. 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन 1959) की धारा 90 की उपधारा (1) के खण्ड (सहपठित धारा 235, के द्वारा प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका बोर्ड बहरोड़ एतद् द्वारा निम्न लिखित उपविधियां बनाता है नामत:-

1. संक्षिप्त नाम सीमा तथा प्रभाव :- (1) ये विधियाँ नगरपालिका बहरोड़(होटल, रेस्टोरेन्ट बेकरी मिठाई पान, आदि की दुकान के नियन्त्रण व नियमन) उपविधियां सन 1991कहलायेगी
   (अ) ये उपविधियां नगरपालिका बहरोड़ की सीमा मे प्रभावहीन होगी
   (आ) ये उपविधियां सरकार द्वारा स्वीकृ त होने के पश्चात् राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशित होने की तिथि से एक माह पश्चात् प्रभावहीन होगी
2. परिभाषायें ;- जब तक अर्थ मे असंगता अथवा भाव मे विपरीततम आती हो, निम्नाकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी इनके अतिरिक्त उपयुक्त अन्य शब्दों की परिभाषा वाही होगी जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,1959मे व्यक्त है

(1) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959(राजस्थान अधिनियम, 38 सन 1959) से है
(2) अध्यक्ष से तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है तथा उसमे प्रशासक भी सम्मिलित है
(3) अधिशाषी अधिकारी से तात्पर्य बोर्ड के अधिशाषी अधिकारी से है
(4) अनुज्ञाधारी से तात्पर्य लाइसेन्स के धारक से है
(5) लाइसेन्स से तात्पर्य इन उपविधियो के अंतर्गत प्रदान किये गए या किये जाने वाले लाइसेन्स से है
(6) अनुज्ञा प्राधिकारी से तात्पर्य उपविधि 4 मे निर्दिष्ट अधिकारी से है
(7) नगरपालिका' से तात्पर्य नगरपालिका बहरोड़ से है
(8) 'बोर्ड से तात्पर्य नगरपालिका बोर्ड बहरोड़ से है एवं प्रशासक की अवस्था मे प्रशासक भी सम्मिलित है
(9) प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधियों के साथ संलग्न प्रपत्र से है
(10) स्वामी' मे अभिकर्ता सेवक प्रबन्धक एवं अधिवासी सम्मिलित है
(11) होटल से तात्पर्य उस स्थान अथवा स्थानो से है जहाँ यात्रियों के लिए भोजन पेय अल्पाहार सहित या रहित ठहरने की व्यवस्था हो तथा उसमे सराय मुसाफिरखाना धर्मशाला विश्रामगृह लोजिंगहॉउस या अन्य इसी प्रकार के भवन सम्मिलित है
(12) 'रेस्टोरेन्ट (अल्पाहार गृह) से तात्पर्य उस भवन या भवन के भागसे है जहाँ भोजन पेय अल्पाहार आइसकेन्डी (कुल्फियां या बर्फ तैयार की जाती है या विकपार्थ रखी जाती है तथा उसमे चाय काफी, कहवा, दूध. दही. लस्सी. शर्बत नमकीन, रस आदि व गैस युक्त पेय पदार्थो की दुकाने ढाबा, भोजनालय आदि सम्मिलित है
(13) 'बेकरी से तात्पर्य भवन या बहवं के उस भाग से, हैजहाँ बिस्कुट केक डबल - रोटी क्रीमरोल, ब्रेड टोस्ट, पेस्ट्री या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है या क्रियार्थ रखे जाते है
(14) मिठाई की दुकान से तात्पर्य भवन या भवन के उस भाग से है जहाँ किसी प्रकार की मिठाई, नमकीन, चाटपुडी साग सब्जी तथा पताशा, मिश्री, बुरा व अन्य किसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है अथवा वित्रयार्थ रखे जाते है, इसमे चाय की दुकान भी सम्मिलित है
(15) पान की दुकान से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहाँ पान बीडी, सिगरेट आदि तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है

(16) खोंमचे वालेसे तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खोंमचे या साईकिल ठेले मे फेरी लगाकर मिठाईकीन, चाट, बीड़ी, सिगरेट आदि पदार्थ विक्रय करता है

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

3. बिना लाइसेन्स के होटल आदि चलाये जाने पर प्रतिबन्ध- कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र मे पूर्व अनुज्ञा पात्र प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान को होटल, रेस्टोरेन्ट बेकरी, मिठाई, पान की दुकान के रूप मे प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे स्थानों पर इस प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का कोई उत्पादन करेगा

4. अनुज्ञा प्राधिकारी की नियुक्ति:- इन उपविधियो के प्रयोजनार्थ जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जावे अधिशाषी अधिकारी अनुज्ञा प्राधिकारी होगा

5. लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र -

(i) कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका क्षेत्र मे होटल रेस्टोरेन्ट बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के रूप मे किसी स्थान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है, प्रपत्र एक मे जो बोर्ड कार्यालय से 0.50 पैसे के मूल्य से प्राप्त होगा, प्रार्थना पत्र अनुज्ञा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का दुहरा मानचित्र तथा होटल, रेस्टोरेन्ट के रूप मे प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान की अवस्था मे जलोत्सारण व्यवस्था को स्पष्टतया अंकित करते हुए प्रदर्शित करेगा

(ii) प्रपत्र (1) मे प्रर्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी प्रस्तावित स्थान का निरिक्षण करेगा तथा अपने आपको इस बात के लिए आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थान अपेक्षित व्यवस्था के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रकार से उपयुक्त है तथा उससे किसी प्रकार की जन असुविधा जन उत्पीडन अथवा जन अनुत्रास नहीं होगा

(iii) खण्ड (2) मे अनुज्ञा प्राधिकारी से आश्वस्त हो जाने पर वह अनुज्ञार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा ऐसा निर्धारित शुल्क जमा करा दिए जाने पर प्रपत्र (2) मे लाइसेन्स जारी करेगा

(iv) अनुज्ञा प्राधिकारी खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने तथा खण्ड (2) के अनुसार स्थान निरिक्षण के पश्चात लाइसेन्स जारी किये जाने के लिए यदि आश्वस्त न हो तो वह कारण अभिलेखित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करेगा अथवा जो दोष हो उन्हें ऐसी यथोचित अवधि मे जो अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जावे दूर किये जाने के लिए अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा यदि निर्दिष्ट समयावधि मे अनुज्ञार्थी द्वारा दोष दूर नहीं किये जावे तो प्रार्थना पत्र अस्वीकृत समझा जावेगा

(v) लाइसेन्स की अवधि :- (1) इस उपविधियो के अधीन जारी किये गए प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिए होगी लाइसेन्स शुल्क पुरे वर्ष का देय होगा चाहे लाइसेन्स वर्ष के किसी माह मे प्राप्त किया गया हो

(vi) लाइसेन्स का नवीनीकरण :- (1) प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा बशर्ते कि लाइसेन्स के नवीनीकरण किये जाने मे अनुज्ञाधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो लाइसेन्स के नवीनीकरण किये जाने मे अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति किये जाने पर अनुज्ञाधारी को लिखित मे कारण अंकित करते हुए तदनुसार सूचित किया जावेगा

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी लाइसेन्स की अवधि समाप्त होने पर 15 अप्रेल तक नवीनीकरण करा सकेगा इसके पश्चात् 1/- रु. प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा

(8) अस्थायी लाइसेन्स :- (अ) कोई भी व्यक्ति जो किसी विशिष्ट अवसर पर किसी स्थान को होटल, रेस्टोरेन्ट बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के रूप मे प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है तो वह तत्प्रयोजनार्थ अस्थाई लाइसेन्स जिसकी अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी प्राप्त कर सकेगा

(ब) खण्ड (1) मे जारी किये जाने वाले अस्थायी लाइसेन्स का शुल्क निर्धारित शुल्क का 1/6 भाग होगा

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

(9) लाइसेन्स अहस्तान्तरणीय होगा :- (अ) इस उपविधियो के अंतर्गत जारी कियागया कोई भी लाइसेन्स जिस स्थान व व्यक्ति के लिए अथवा जिस कार्य के लिए दिया जावेगा उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो सकेगा तथा लाइसेन्स अहस्तान्तरणीय होगा

(ब) प्रत्येक अनुज्ञाधारीलाइसेन्स को पाने वाणिज्यिक भवनपर काँच के फ्रेम मे मढ़कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा

(10) लाइसेन्स का निलम्बन या निरस्तीकरण :- (अ) कोई भी लाइसेन्स जन सुरक्षा अथवा जन स्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इस उप विधियों की शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निलम्बित या निरस्त किया जा सकेगा

(ब) खण्ड (1) मे लाइसेन्स के निरस्तीकरण करने से पूर्व अनुज्ञाधारी को एतदर्य कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा

(स) खण्ड (1) मे लाइसेन्स का निलम्बन या निरस्तीकरण कर दिए जाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी को इन उपविधियो के अन्तर्गत अभियोजित भी किया जा सकेगा

11. लाइसेन्स शुल्क:-

(1) लाइसेन्स का शुल्क निम्न प्रकार से होगा:-

() होटल :- (अ) जहाँ यात्रियों के लिये10 कमरों से अधिक की व्यवस्था नहीं हो:- प्रतिवर्ष 100 /- रु.

(ब) जहाँ यात्रियों के लिए10 कमरों से अधिक की व्यवस्था हो :- प्रतिवर्ष 150 /- रु.

(2) रेस्टोरेन्ट:-

(अ) रेस्टोरेन्ट:- प्रतिवर्ष 25 /- रु.

(ब) केवल चाय की दुकान :- प्रतिवर्ष 10 /- रु.

(स) केवल बर्फ, सोडा, लेमन, शर्बत आदि उत्पादन एवं विक्रय की दुकान :- प्रतिवर्ष 10 /- रु.

(3) बेकरी :- प्रतिवर्ष 25 /- रु.

(4) मिठाई की दुकान :- प्रतिवर्ष 25 /- रु.

(5) पान की दुकान :- प्रतिवर्ष 10 /- रु.

(6) खोंमचे :- प्रतिवर्ष 5 /- रु.

() खण्ड (1) मे देयशुल्क प्रत्येक अवस्था मे अग्रिम रूप से लिया जावेगा

() ऐसी धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाना जो पूर्णतया निःशुल्क आवास व्यवस्था प्रदान करते है, खण्ड (1) मे प्रावधित शुल्क से मुक्त होगे

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

12. लाइसेंस की सामान्य शर्ते:- इन विधियों के अंतर्गत लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य शर्तो के साथ स्वीकार किया जावेगा |

(1) जिस स्थान के लिए लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित हो वह अपेक्षित व्यापार के लिए उपर्युक्त तथा पर्याप्त रूप से विस्त्तिर्ण होगा |

(2) लाइसेंस शुदा स्थान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त व हवादार होगा|

(3) धुआं निकलने के लिए अनुज्ञाधारी द्वारा चिमनी की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी ताकि जहाँ ग्राहकों को भोजन या पेय पदार्थ परोसे जावे वहां उनको असुविधा न हो सके|

(4) अनुज्ञाधारी द्वारा गंदे पानी के निकास के लिए निर्देशानुसार जलोत्सारण व्यवस्था की जावेगी| यदि सोकिस्त की व्यवस्था हो तो वह अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निर्मित किया जावेगा तथा जलोत्सारण का उससे सम्बन्ध किया जाएगा |

(5) होटल एवं रेस्टोरेन्ट में शौचालय अनिवार्य रूप से फ़्लैश प्रणाली के बनाने होंगे तथा मूत्रालय का उचित प्रावधान भी किया जावेगा |

(6) उपयोग में लिए जाने वाले जल को सदैव स्वच्छ पात्र में रखा जायेगा| तथा ऐसे पात्रो को प्रत्येक दिवस प्रातः एवं साएँ साफ़ किया जाएगा ऐसे पात्रो को किसी उच्च स्थान पर इस प्रकार रखा जावेगा ताकि उनमे बाहरी कीटाणु या दूषित पदार्थ प्रवेश नहीं कर सके| तथा उन्हें सदैव ढक्कनों से आच्छादित कर रखा जावेगा| भोजन परोसने एवं खाद्य पदार्थ तैयार करने के सम्पूर्ण पात्र पीतल,कांसी,स्टेनलेस स्टील,चीनी या कांच के होंगे तथा पीतल के पात्रो पर यथा समय आवश्यक होने पर कलई कराई जावेगी |

(7) यदि जल को किसी टंकी में एकत्रित किये जाने की व्यवस्था हो,तो टंकी केवल धातु कि बनी होगी तथा उसे प्रत्येक प्रकार में स्वच्छ रखा जावेगा ऐसी टंकी भूतल से कम से कम 125 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगी| इस टंकी को सदैव आच्छादन कर रखा जावेगा | यदि जल की व्यवस्था सीधे किसी कुएं से है तोह तदर्थ स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जावेगा |

(8) लाइसेंस शुदा स्थान की सम्पूर्ण दीवारे भूतल से 125 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक सीमेंट प्लास्टर या इस प्रकार की पक्की बनी होगी ताकि उसमे किसी प्रकार की नमी होने की संभावना न हो| शेष दीवारों पर भली प्रकार से प्लास्टर अथवा सफेदी कराई जावेगी | सफेदी वर्ष में दो बार अथवा आवश्यकता होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समय समय पर करवाई जावेगी | बेकरी,मिठाई की द ुकान,बर्फ या गैस युक्त जल के उत्पादन के लिए यंत्राल्यो की अवस्था में सीमेंट प्लास्टर या अन्य पक्का प्लास्टर भूतल से 250 सेंटीमीटर की उचाई तक होगा | लिसेंसेस शुदा स्थान की छते सादा रखी जावेगी ताकि उन पर किसी प्रकार के धुल कण या जाले एकत्रित नहीं हो सके| फर्श सम्पूर्ण सीमेंट,चिप्स या टाइल्स की बनी होगी तथा उसके नीचे जलोत्सारण व्यवस्था का उचित प्रावधान किया जावेगा|

(9) अनुज्ञाधारी की पूर्व अनुमति के बिना लाइसेंस शुदा स्थान पर किसी भी समय कोई पशु नहीं रखे जावेंगे|

(10) अ- अनुज्ञाधारी लाइसेंस शुदा स्थान को सदैव स्वच्छ रखेगा|

ब - लाइसेंस शुदा स्थान पर एकत्रित होने वाले कूड़े करकट को एतदर्थ रखे गये धातु के पात्रो में संग्रहित किया जावेगा | तथा प्रत्येक दिवस एकत्रित कूड़े करकट को निर्धारित स्थान पर निष्पादित किया जावेगा व प्रति दिवस उन्हें आवश्यकतानुसार स्वच्छ किया जावेगा|

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

स - अनुज्ञाधारी लाइसेंस शुदा स्थान को प्रत्येक दिवस तथा आवश्यकतानुसार समय समय पर पूर्ण रूपेण धोएगा एवं शौचालय व मूत्रालयो को किटाणुनाशक दवाइयों से कीट रहित रखेगा|

द - लाइसेंस शुदा स्थान से एकत्रित होने वाले सम्पूर्ण गंदे पानी को तुरन्त बहाया जावेगा अथवा ऐसी व्यवस्था रखी जावेगी कि ऐसा गन्दा पानी तुरन्त बह जावे|

य - व्यापार के लिए प्रयोजनार्थ समस्त फर्नीचर,तस्तरियो,काकरी,पात्र बर्तन व उनसे सम्बंधित अन्य वस्तुये सदैव स्वच्छ रखी जावेगी |

(11) तस्तरिया,कप,प्लेट,चम्मच,कांटे एवं अन्य समस्त बर्तन व अनुसांगित वस्तुये जो परोसने के प्रयोजनार्थ हो को सदैव स्वच्छ जल से पूर्ण उबलते हुए गर्म पानी या भाप में पांच मिनट तक उबालकर कीटाणु रहित किया जावेगा|

(12) प्रत्येक टेबिल,बैंच या तख्ता जिस पर भोजन,चाय या अल्पाहार परोसा जावेगा , का उपरी तल संगमरमर या पालिशदार पत्थर,सनमाइका एल्युमिनियम या अन्य ऐसे ही पदार्थ का बना होगा जो आसानी से साफ़ किया जा सके| प्रत्येक परोसगारी के बाद उपरी तल को स्वच्छ कपडे से तथा आवश्यक हो तो जल से पूर्णतया स्वच्छ किया जावेगा |

(13) सम्पूर्ण खाद्य सामग्री,पेय पदार्थ,मसाले,साग-सब्जी,आदि जो व्यापार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हो अच्छे ताजे एवं आरोग्यप्रद होंगे तथा निर्मित या उत्पादित भोज या खाद्य सामग्री जो तत्काल प्रयोग के लिए नहीं है बंद डिब्बे जो गैल्वेनाइज्ड लोहे के बने होंगे या अन्य धातु के पात्र में रखे जावेंगे तथा उन्हें किसी भी रूप से फर्श पर खुला नहीं छोड़ा|जावेगा

(14) अनुज्ञाधारी परोसगारी के लिए ऐसे सेवको को हे अनुमत करेगा जो स्वच्छ वस्त्र पहने| हो

(15) ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो अधिशाषी अधिकारी या बोर्ड द्वाराप्राधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी की सम्मति में सडा हुआ,बासी अस्वास्थ्यकर निषिध तथा अन्य प्रकार से मानव उपयोग के लिए अनुचित हो वाणिज्यिक भवन में न तो भण्डारित किया जावेगा न परोसा जावेगा और न ही विक्रय किया जावेगा अथवा विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जावेगा|

(16) (क) सूखे मेवे,फलो के कटे हुए टुकड़े,पका हुआ भोजन या अन्य सम्पूर्ण प्रकार के भोज्य पदार्थ खाद्य एवं पेय वस्तुये जो वाणिज्यिक भवन में मानव उपयोग के लिए तैयार रखी हो उन्हें इस प्रकार भण्डारित किया जावेगा या विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जावेगा ताकि उसकी धुल मक्खियों या कीटाणुओ से पूर्ण रूपेण रक्षा हो सके|

(ख) ऐसी वस्तुये जो विक्रय के लिए प्रदर्शित की जावे उन्हें बर्तनों या तस्तरियो में जो कांच चीनी मिटटी की या इनेमिल्ड धातु या चद्दर की बनी होगी , कांच की अलमारियो या आवश्यकता हो तो जालियो में इस प्रकार रखी जावेगी कि उनमे वायु संचारित हो सके|

(ग) किसी भी ऐसी वस्तुये को हाथ से नहीं छुवा जावेगा|तथा उन्हें परोसने के लिए सदैव स्वच्छ चम्मच,कांटे या अन्य अनुसांगिक वस्तुये प्रयुक्त की जावेगी|

(17) सम्पूर्ण प्रकार के रद्दी कागज,थैलियाँ व पत्ते जो खाद्य पदार्थो को रखने के लिए प्रयुक्त किये जावे,साफ़ होंगे एवं स्वच्छ रैको या संदूको में भण्डारित किये जावेंगे|

(18) अनुज्ञाधारी व्यापार के प्रयोजनार्थ चाहे वह विक्रय से सम्बंधित हो या उत्पादन से ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो किसी घ्रनास्प्रद ,छूत या किसी अन्य सान्स्पारिक रोग से पीड़ित हो अथवा वह ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति किसी के संपर्क में तुरन्त रहा ही या स्नान किया हुआ न हो या अन्यथा अस्वच्छ हो |

(19) अ- अनुज्ञाधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियोजित नहीं करेगा जब तक की उसको अपने प्रथम नियोजन के समय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत स्वास्थय या चिकित्सा प्राधिकारी को इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे की वह

किसी सान्स्पारिक छूत या घ्रणित रोग से पीड़ित नहीं है तथा किसी आंत्र विषयक रोग उदाहरांत मोतिजरा,कालाज्वर, हैजा या आव जैसे रोगों से ग्रस्त नहीं है।कभी की गंभीर रोग से ग्रसित होने के बाद वह पुनः कार्यस्थ होने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह छूत सान्स्पारिक या घ्रणित रोग का रोगी नहीं है।

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

ब - प्रत्येक ऐसा कर्मचारी कभी भी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत स्वास्थय या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाने पर अपना स्वास्थय परिक्षण करवाएगा |

स - उपखंड (अ) या (ब) के उपबंधो की अनुपालना में ऐसे कर्मचारी द्वारा असफल होने पर उसे लाइसेंस शुदा स्थान पर किये जाने नाले वाणिज्यिक के सम्बन्ध में न तो नियोजन किया जाएगा न ही नियोजन में रखा जाएगा।

(20) अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में होने वाले किसी ऐसे रोग को जो भयानक छूत या सान्स्पारिक हो की सूचना तत्काल बोर्ड द्वारा अधिकृत स्वास्थय या चिकित्सा प्राधिकारी अथवा अधीशाषी अधिकारी या अनुज्ञा प्राधिकारी को देगा।

विशेष शर्ते

13. बेकरी या मिठाई की दुकान के लिए विशेष शर्ते:- अनुज्ञाधारी ऐसे स्थान जो बेकरी या मिठाई की दुकान के रूप मे लाइसेन्स प्राप्त हो उपविधि 12 मे प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्तो का और पालन करेगा :-
   - क. वाणिज्यिक भवन मे गुन्दने भंडारित करने तथा विक्रय के लिए पृथक - पृथक, व्यवस्था की जावेगी
   - ख. गूंदन कक्ष की दीवारे भूतल से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक सीमेन्ट प्लास्टर चिप्स या टाइल्स की पक्की बनी होगी गूंदन कक्ष की छत सादा होगी ताकि उस पर जले व धुल कण न चिपक सके
   - ग. प्रत्येक व्यक्ति जो गूंदन क्रिया के लिए नियोजित हो सूती या लीलन से बनी हुई स्वच्छ सफेद कपडे की पोशाक इस प्रकार पहनेगा ताकि शरीर का अग्रिम भाग गर्दन से घुटनों तक ढका रहे

प्रपत्र - १

[देखिये उपविधि 5 (1)]

होटल, रेस्टोरेन्ट, मिठाई, बेकरी, पान आदि की दुकान लगाने के लिए लाइसेन्स का प्रार्थना पत्र

सेवा में,
श्रीमान अनुज्ञा प्राधिकारी,
नगरपालिका ....
महोदय,

मै/ हम नगरपालिका की सीमा मे एक होटल, रेस्टोरेन्ट, मिठाई, बेकरी, पान आदि की दुकान खोलना चाहता / चाहते है/ जो चालू है के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते है

इस सम्बन्ध मे आवश्यक विवरण इस प्रकार है:-

1. अनुज्ञार्थी का नाम व पता ....

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

2. पिता / पति का नाम ....
3. आयु ....
4. व्यवसाय स्थान का विवरण ....
5. सीमाएं मौहल्ला / रास्ता / बाज़ार ....
6. अन्य आवश्यक विवरण ....

स्थान का मानचित्र दो प्रतियों मे संलग्न है स्थान पर अपेक्षित जलोत्सारण व्यवस्था को जो प्रस्तावित किया गया है या किया जन है मानचित्र मे अंकित कर दिया गया है

अतः निवेदन है कि मुझे हमें कृपया लाइसेन्स जरी किया जावेमै / हम प्रतिज्ञा करता हूँ / करते है किनगरपालिका .... होटल, रेस्टोरेन्ट मिठाई, बेकरी पान आदि की दुकानों के नियन्त्रण विनियमन उपविधियां सन .... के उपबन्धों से पाबन्द रहूँगा / रहेगे तथा उनकी पूर्णतया पालन करूँगा करेगे

लाइसेन्स शुल्क मांगे जाने पर तत्काल नगरपालिका कोष मे जमा करवा दूंगा / करवा देगे

दिनांक .... अनुज्ञा प्राधिकारी

नगरपालिका ....

घ. बेकरी मे प्रयुक्त होने वाली गूंदन मेज या तल साफ तथा दरार रहित होगा वह इस प्रकार बना होगा कि उसमे जल नहीं सोखा जासके जब मेज प्रयोग मे नहीं लाई जाये तो उसे सदैव स्वच्छ कपडे से आच्छादित रखी जावेगी

ड. कोई भी व्यक्ति गूंदन मेज पर धुल नहीं डालेगा

च. अनुज्ञाधारी रोटी या मिठाई को विक्रययार्थी एक स्थान पर केवल बंद गाड़ी या बंद टोकरीटिन या अन्य ऐसे ही पात्र मे ले जाने की व्यवस्था करेगा जो प्रत्येक समय पूर्णतया स्वच्छ रखा जावेगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही नही करेगा जिससे रोटी या मिठाई जो परिवहित की जा रही हो, गन्दी दूषित या अस्वास्थ्यकारी हो जाये

14. होटल व रेस्टोरेन्ट के लिए विशिष्ट शर्ते- होटल व रेस्टोरेन्ट के रूप मे प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के लिए उपनियम 12 मे प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्न विशिष्ट शर्तो का और पालन करेगा

(i) किसी भी व्यक्ति को भोजन कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र भोजन किये जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी परन्तु ऐसी अनुमति होटल मे ठहरने वाले यात्री की अपने कक्ष मे भोजन करने के लिए दी जा सकेगी

(ii) होटल मे उचित संख्या मे मूत्रालय ततः शौचालय होगे प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय को पूर्णतया स्वच्छ रखा जायेगा तथा प्रतिदिन कीटाणुनाशक दवाइयों द्वारा कीटाणु रहित किया जावेगा प्रत्येक होटल मे केवल फ्लश शौचालय ही निर्माण कराना अनिवार्य होगा सूखे तहारत नहीं बनाये जायेगे

(iii) जब कभी होटल या रेस्टोरेन्ट पर किसी ध्वनी विस्तारक यन्त्र का उपयोग था व्यवस्था की जाये तो इस बात का पुर्णतः ध्यान रखा जावेगा की समीप के भवन स्वामियों अथवा अधिशासियो को किसी प्रकार की असुविधाय अनुत्रास न हो

(iv) भोजन कक्ष तथा रसोई की फर्श पत्थर सीमेंट् चिप्स या अन्य ऐसे पदार्थ से बनी होगी तथा इस प्रकार की ढालू होगी की उसमे सम्पूर्ण तरल पदार्थ सरलतापूर्वक नाली मे बह सके

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

(v) भोजन व रसोईघर मे संवातन की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी कि वह अनुज्ञा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार हो इस प्रकार का कोई लैम्प या अन्य प्रकाश प्रयोग मे नही लिया जावेगा जिसकी बनावट इस प्रकार की हो उसमे धूंआ या काजल उत्पन्न हो

(vi) भोजन कक्ष व् रसोईघर के दरवाज़े खिड़कियाँ आदि इस प्रकार से निर्मित किये जाएँ ताकि मक्खियों व धुल से रक्षा हो सके तथा अनुज्ञाप्राधिकारी को सन्तुष्टि के अनुसार जलीअच्छे चिको से सुरक्षाकी जाएगी

<u>प्रपत्र - २</u>

[देखिये उपविधि5 (3)]

श्री .... नाम पुत्र / पुत्री / पत्नी .... आयु .... पहचान चिन्ह .... को होटल / रेस्टोरेन्ट / बेकरी / मिठाई की दुकान/ पान आदि की दुकान चलाये जाने हेतु एतद् द्वारा

मै दिनांक...................................... से .... तक के लिए नगरपालिका .... (होटल, रेस्टोरेन्ट, मिठाई, बेकरी, पान आदि की दुकानों के नियन्त्रण व नियमन विषयक) उपविधियां सन................. के अंतर्गत लाइसेन्स प्रदान किया जाता है

दिनांक .... अनुज्ञा प्राधिकारी

नगरपालिका ....

<u>नवीनीकरण</u>

यह लाइसेन्स दिनांक................................. से .... तक के लिये नवीनीकृत किया गया

दिनांक .... अनुज्ञा प्राधिकारी

नगरपालिका ....

(vii) सम्पूर्ण पका हुआ भोंजन इस प्रकार रखा जायेगा ताकि वह किसी भी प्रकार हानिकारक, दुर्गन्धमय, विषैला या दूषित न हो जावे

(viii)होटलों की अवस्था मे एक पंजिका राखी जायेगी जिसमे होटल मे ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम व पते आने जाने की तिथि समय व् अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षित अन्य सुचना प्रविष्ट की जावेगी

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

(15.) गैस युक्त जल के लिए उत्पादन हेतु विशेष शर्ते-गैसयुक्त जल के उत्पादन के लिए उपनियम 12 मे प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्न और विशिष्ट शर्तो का पालन करेगा:-

(i) जहाँ नल व्यवस्था हो, वहा जहाँ तक सम्भव हो यन्त्रालय के भवन मे सार्वजनिक जल प्रदाय से ही समबन्ध किया जावेगा

(ii) लाइसेन्स शुदा स्थान मे निम्नलिखित के लिए पृथक व पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी
- बोतले साफ किये जाने हेतु
- जल भण्डारित किये जाने व साफ किये जाने हेतु
- बोतले भरे जाने हेतु व
- भरी हुई बोतलों को भण्डारित करने हेतु

(iii) उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को भली प्रकार शोधित एवं कीटाणुविहीन किया जावेगा तथा शोधित करने वाले पात्रो एवं सामग्री को ऐसी प्रणाली से जैसा अनुज्ञा प्राधिकारी निर्देश दे कीटाणु विहीन बना किया जावेगा

(iv) सम्पूर्ण प्रकार के शर्बत कलईदार तस्तरियो या पात्रो या स्टेनलेश स्टील या चीनी मिटटी के बने पात्रो मे तैयार किये जायेगे एवं उन्हें ऐसे स्थानों या अलमारियो मे रखा जावेगा जहाँ मख्खी, मच्छर आदि प्रविष्ट न हो सके

(v) लाइसेन्स शुदा स्थान से किसी भी प्रकार का गैस या जल शर्बत आदि विक्रयार्थ तबतक निर्गमित नहीं किये जायेगे जब तक कि उन पर उत्पादनकरता के पूर्ण नाम व् पते का लेबिल नहीं लगा दिया जावेगा

(vi) गैस या जल या जल से उत्पादित किये जाने वाले अन्य पेय पदार्थो से यदि जन स्वास्थ्य को हानि की आंशका हो या किसी प्रकार की महामारी फैलने का भय हो तो अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, अनुज्ञा प्राधिकारी, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियो को अधिकार होगा कि वह ऐसे पदार्थो का उत्पादन एवं विक्रय सर्वदा के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक समझी जाए, बन्द करादे

(16) बर्फ उत्पादन के स्थानों हेतु विशिष्ट शर्ते- बर्फ उत्पादन के स्थानों के लिए उप नियम 12 मे प्रावधित सामान्यशर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो का और पालन करेगा:-

(i) जहाँ जल प्रणाली की व्यवस्था हो, वहां यन्त्रालय के भवन मे जल सम्बन्ध केवल सार्वजनिक जल प्रदाय से ही किया जावेगा तथा अनुज्ञा प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बीना अन्य कोई जल प्रयुक्त नहीं किया जावेगा जहाँ नल प्रणाली की व्यवस्था नहीं हो वहां जल लाने व उसे भण्डारित करने के लिए ऐसे पात्र प्रयुक्त किये जायेगे जैसा कि अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा

(ii) बर्फ के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला जल पूर्ण रूपेण शोधित व शुद्ध होगा तथा उसे मशको या ऐसे अन्य पात्रो से जिन्हें अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया हो, नहीं ले जाया जावेगा

(17) पान की दुकानों हेतु विशिष्टशर्ते :-

(i) अनुज्ञाधारी द्वारा लाइसेन्स शुदा स्थान मे प्रयुक्त किये जाने वाले सम्पूर्ण पात्रो को प्रत्येक दिवस पुर्णरुपेण स्वच्छ किया जावेगा

(ii) पान लगा कर रखे जाने वाले तख्ते, बोर्ड या पाटे पर पीतल या स्टील को चद्दर लगाई जावेगी तथा उस पर सदैव स्वच्छ कपडा या टाट रखा जायेगा लगे ह ुए पान शीशे के केस मे जो तीन ओर बंद, हो रखे जाने से ताकि उनकी धुल से रक्षा हो सके

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

(iii) प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था चुना, मसाले सुपारी आदि बढ़िया किस्म के प्रयोग मे लिए जायेगे तथा उन्हे भली प्रकार शोधित करके, प्रयोग मे लिया जावेगा जर्दे और किमाम के अलावा पान की दुकान पर किसी प्रकार की नशीली वस्तु नहीं रखी जायेगी

(iv) प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चुना, प्रत्येक दिवस ताजा प्रयोग मे लिया जायेगा व स्वच्छ पात्रो मे रखा जायेगा

(18) खौमचे वालो के लिए विशिष्ट शर्ते- अनुज्ञाधारी उपविधि 12 मे प्रावधित अन्य सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्तो का और पालन करेगा

(i) सम्पूर्ण प्रकार की मिठाई नमकीन, चाट आदिनिर्मित किये जाने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले पात्रो को प्रतिदिन भली प्रकार स्वच्छ किया जा कर प्रयुक्त किया जावेगा

(ii) मिठाई, नमकीन आदि को जालीदार कपडे या जली मे इस प्रकार आच्छादित करके रखा जायेगा ताकि उसमे मक्खी, मच्छर मिट्टी आदि प्रवेश न पा सके

(iii) चाट आदि के लिए काम में लिए जाने वाले पत्तो, दोनों या तस्तरियो आदि को पूर्ण रूपेण स्वच्छ करके प्रयुक्त किया जावेगा |

(iv) झूठे पत्तो, दौने आदि को डाले जाने हेतु एक प्रथक पात्र की व्यवस्था की जावेगी ताकि सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार की गन्दगी न फैलने पावे|

(v) अनुज्ञाधारी वे सब सावधानिया बरतेगा, जिससे किसी प्रकार की अशुध्धता न हो तथा भोज्य पदार्थ विषैले, दूषित या अस्वास्थ्यकर न हो |

(19) निरीक्षण :- (1)अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जो अध्यक्ष,अधीशाषी अधिकारी, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा या स्वास्थय प्राधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के निरिक्षनार्थ सदैव खुली रहेगी|

(2) अध्यक्ष,अधीशाषी अधिकारी, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत स्वास्थय या चिकित्सा प्राधिकारी कोई स्वास्थय निरीक्षक या एतदर्थ लिखित में प्राधिकृत नगरपालिका का कोई भी अधिकारी लाइसेंस शुदा स्थान के वाणिज्यिक भवन में उनके कार्य के समय में प्रवेश कर सकेंगे तथा खान भखाद्य सामग्री एवं पेय वस्तुओ सम्पूर्ण बर्तन व पात्र कोकरी आदि फर्नीचर का निरिक्षण कर सकेंगे| तथा अपनी निरिक्षण रिपोर्ट अनुज्ञा प्राधिकारी को देंगे| जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा| निरक्षण रिपोर्ट को एतदर्थ रखी गयी निरिक्षण पुस्तिका में अंकित किया जावेगा | अनुज्ञाधारी निरिक्षण के समय प्राधिकारीयो को निरिक्षण हेतु सुविधा प्रदान करेगा|

(3) अधीशाषी अधिकारी ऐसे स्थान से ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ जो उनकी सम्मति में बासी, अस्वय्स्थकर या मानव उपयोग के लिए अनुचित है को स्वय हटाने या उन्हें हटवाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी के विरुद्ध उपविधियो के उलंग्घन के लिए अभियोग प्रस्तुत किये जाने हेतु सक्षम |होंगे

(4) जब किसी अध्यक्ष,अधीशाषी अधिकारी, अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा या स्वास्थय अधिकारी व्यकितगत निरिक्षण के पश्चात आश्वस्त हो या अनुज्ञा प्राधिकारी के पास निरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह संतुष्ट हो की अनुज्ञाधारी इन उपविधियो का उलंघन कर रहा है अथवा उनका भली प्रकार अनुपालन नहीं कर रहा है तो अनुज्ञाधारी को अभियोजित किये जाने की उपेक्षा उक्त प्राधिकारी ऐसे निर्देश भी दे सकेंगे जो उपविधियो के अनुपालन हेतु आवश्यक हो, तथा अनुज्ञाधारी द्वारा ऐसे निर्देशों का तत्काल पालन किया जाएगा |

(20) अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निर्देश:- (1) इन उपविधियो में कोई बात न होते हुए भी अनुज्ञा प्राधिकारी उपविधियो को भली प्रकार क्रियान्वित किये जाने के लिए यथोचित आदेश व निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा तथा अनुज्ञाधारी द्वारा उनका तत्काल पालन किया जावेगा

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

(2) विशेष असाधारण परिस्थितियों मे जिनको अभिलेखित किया जावेगा तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त कारण होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इन उपविधियो मे निर्धारित शर्तो मे कमी वृदि की जा सकेगी

(21) अपील :- इन उप विधियों के अन्तर्गत अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी, अनुज्ञा प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या निर्देश से व्यथित होने पर ऐसे आदेश या निर्देश के विरुद उसकी प्राप्ति से 30 दिन मे बोर्ड मे अपील की जा सकेगीआदेश या निर्देश की प्रति लिपि प्राप्त करने का समय उक्त समयावधि के अतिरिक्त दिया जायेगा

(22) शास्तियां :- इन उपविधियो मे से किसी भी उपविधि के उल्लंघन किये जाने पर अध्यक्ष की अनुमति से अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति का सक्षम दण्डनायक के समक्ष अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा दोष सिदी पर दण्डनायक द्वारा उसे 500 /- रु. तक के अर्थदण्ड व दोष क्रमिक रहने पर प्रतिदिन5 /- रु. के अतिरिक्त दण्ड से दण्डितकिया जा सकेगा

(23) समझौता :- इस उपनियमो के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगरपालिका अपराधो का अभिसंधान एवं समझौता नियम 1966 के उपबन्धों के अनुसरण मे अपराध का अभी संधान या समझौता किया जा सकेगा

(24) निरसन :- इन उपविधियो के प्रभावशील होने के पूर्व इन उपविधियो से सम्बंधित मामलो के लिए प्रचलितसमस्त नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, निर्देश परिपत्र अथवा अधिसूचनाएँइन उप विधियों के प्रभावशील होने पर निरसित हो जावेंगे किन्तु उक्त नियम, उपनियम, अधिनियम आदेश निर्देश, परिपत्र अथवा अधिसूचना के अनुसरण मे की गई कार्यवाही इन उप विधियों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही समझी जावेगी